तारिख हुक्म	हुक्म या ...
30.7.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है, प्रार्थिया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 L.R.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रा.पत्र संख्या ::— 28/2024

निर्मला गुर्जर पत्नी भैरूलाल गुर्जर निवासी कांसा का खेडा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ
विपक्षी

उपस्थित ::— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

आदेश दिनांक ::— 30.07.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत राजस्व नक्शे में तरमीम में शुद्धि किये जाने।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम रामनगर प.ह. कादूंदा में प्रार्थी की निजी खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
91	265/1	0.8100

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी उक्त भूमि पर निरंतर निर्बाध रूप से काबीज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है लेकिन वर्तमान ऑन लाईन राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की लिपीकीय भूलवश डी.आई.एल. आर.एम.पी. के तहत नक्शा तरमीम में प्रार्थीया को कृषि आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम नहीं करके सहवन से भूलवश प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि आराजीयात का अन्य जगह तरमीम कर दी गई है, जबकि प्रार्थीया की खातेदारी तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। क्यो कि प्रार्थीया ने मौके पर चारो तरफ पत्थरो की कोट बनाकर फसल की सिंचाई हेतु ट्यूबवैल व पाईप लाईन लगा रखी है।

यह कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी संख्या 265/1रअि 0.8100 हैक्टर भूमि पर आवंटन दिनांक से ही निरंतर निर्बाध रूप से काबीज हो काश्त करती चली आ रही है उक्त आराजी को काफी अंग मेहनत कर एवं काफी खर्चा कर काबील काश्त बनायी लेकिन प्रार्थीया की उक्त आराजी संख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर पर जिस अनुसार आवंटन दिनांक से काबीज है उसको राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं करके अन्य जगह प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि आराजीयात का राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई है जो राजस्व कर्मचारियों की भारी भूल है। प्रार्थीया ने जब राजस्व रेकार्ड की नकल एवं राजस्व नक्शे की प्रतिलिपि निकलवायी तब उक्त त्रुटि की जानकारी हुई इसलिये प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का आन लाईन राजस्व रकार्ड के नक्शे में जरिये शुद्धिकरण के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कराये जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रार्थीया की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी सख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया के आवंटन दिनांक से प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जिस अनुसार काबीज है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं होगी और एक इंच भूमि भी कम नहीं होगी। जिससे प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड के नक्शे मे शुद्धिकरण कर प्रार्थीया के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने से किसी भी पक्ष को हानि नहीं होगी वरन अनावश्यक मुकदमे बाजी नहीं होगी एवं प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि का सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

यह कि प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी व मौजुदा ऑनलाईन नक्शा संलग्न पेश हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की आराजी संख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि का वर्तमान ऑन लाईन राजस्व रेकार्ड के नक्शे में प्रार्थीया के मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण मे विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार , बेगूँ प्रकरण में उपस्थित आए तथा इस प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि कलम संख्या 1 के जवाब में निवेदन किया है कि वादी राजस्व रेकार्ड से कलम संख्या 1 स्वयं प्रमाणित करें। कलम संख्या 2 के जवाब में इस प्रकार निवेदन किया है कि भू अभिलेख निरीक्षक कादुन्दा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीया के कनाम वर्तमान मे दर्ज रेकार्ड भूमि व वादीया काबिज होकर जहॉ तरमीम करवाना चाहती है। उक्त दोनो आराजीयात का मूल खसरा नं. 265 है। वादीया का वर्तमान मे जहॉ कब्जा है उक्त भूमि आरक्षित चारागाह दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शे में दर्ज भूमि व वादीया का जहॉ कब्जा है उक्त भूमि आरक्षित चारागाह दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शे में दर्ज भूमि व वादीया का जहॉ तरमीम करवाना चाहती है दोनो में तरमीम की

मन्नता है। यह कि वादपत्र की कलमत सं. 3 का जवाब इस प्रकार है कि भू अभिलेख निरीक्षक कादुन्दा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीया जहॉ वर्तमान में काबिज हो कर तरमीम करवाना चाहती है वह भूमि मूल आराजी नं. 265 का ही भाग होकर आरक्षित चारागाह दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शे अनुसार वादीया काबिज नहीं है।

वाद पत्र की कलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि भू अभिलेख निरीक्षक निपोर्ट अनुसार वादीया का जहॉ कब्जा है उसके आराजी नं. 25 है तथा जहॉ पर वादीया की आराजीयात की तरमीम की गई है उसके वर्तमान आराजी नं. 265/1 है। इस प्रकार दोनो मूल नम्बर एक ही है।

प्रकरण में विपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई, बहस में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया का जहॉ उनके खातेदारी की कृषि आराजी पर काश्त होकर वह काश्त कर रही है तथा उक्त भूमि पर चारों ओर पत्थर की कोट भी की हुई है तथा टूयूबवैल भी है, उस स्थान को राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व नक्शे में तरमीम प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर न कर अन्य स्थान पर कर दी है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाना चाहती है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे की तरमीम को दुरूस्त कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। बहस में विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा निवेदन किया है कि जिस भूमि पर काबिज होकर नक्शे में तरमीम करवाना चाहती है वह आरक्षित चारागाह भूमि है जबकि वर्णित कृषि भूमि का मूल आराजी नम्बर 265 आरक्षित चारागाह ही है, जहॉ पर वादीया की आराजीयात की तरमीम की गई है उसके वर्तमान आराजी नम्बर 265/1 है इस प्रकार दोनो के मूल नम्बर एक ही है। पत्रावली में मौका रिपोर्ट भी न्यायालय द्वारा तलब की गई जो कि नक्शाट्रेस पर्चामौका तैयार कर संलग्न पत्रावली किया गया जिसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया ।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन एवं नक्शाट्रेस का अवलोकन भी किया गया, प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा रामनगर प0ह0 कादून्दा की आराजी संख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि है, यह भूमि प्रार्थीया को आवंटित भूमि है, जैसा कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने वर्णित किया है, इस कृषि भूमि का मूल आराजी संख्या 265 है जो कि आरक्षित चारागाह है, यह मामला 136 एल.आर.एक्ट का है जो कि पूर्व के राजस्व रेकार्ड में हुए इन्द्राज में यदि वर्तमान मे परिवर्तन किया जाता है तो उसे दुरूस्त किया जाने का अधिकार इस धारा में न्यायालय को है, हालॉकि प्रार्थीया द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ उन्हें आवंटन के समय दिये गये कब्जे के नक्शे की प्रति संलग्न नहीं की है, बहस उभयपक्ष से यह तथ्य सामने आए है कि मूल आराजी संख्या 265 जो कि आरक्षित चारागाह की भूमि है तथा प्रार्थीया की वर्तमान कृषि आराजी संख्या 265/1 भी आराजी संख्या 265 का ही भाग है, चूँकि दोनो ही आराजी का मूल नम्बर एक ही है इसलिए यदि प्रार्थीया जिस स्थान पर कब्जा होकर काश्त कर रही है, तथा उन्होने उस कृषि आराजी के चारो ओर पत्थर कोट कर टूयूबवैल भी लगा रखी है तो आराजी संख्या 265 व 265/1 दोनो का मूल नम्बर एक ही होने से कब्जे वाली भूमि पर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना व प्रार्थीया के पूर्व के कब्जे वाली भूमि को नक्शे में आरक्षित चारागाह किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि आराजी भूमि मौजा रामनगर प0ह0 कादून्दा की आराजी संख्या 265/1 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीया के कब्जे अनुसार भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ

दिनांक :—

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

प्रार्थना पत्र संख्या 28/2024 व अनवान श्रीमति निर्मला गुर्जर बनाम तहसीलदार बेगूँ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में न्यायालय की आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ